wage employees in Super Bazar. All the employees and staff of Super Bazar are being paid wages in regular scales, the minimum of which is above the ones notified by the Govt. of Delhi under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) No representation has been received in this regard.

(c) Does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए राज सहायता

5799. **श्री रामजीलालः** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए कोई राज-सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों पर यह राज-सहायता दी जाती है;

(ग) क्या सरकार उनमें नयी वस्तुओं को शामिल करने जा रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गांवों में किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सभी परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं को खरीदने हेतु पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार ने, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके आर्थिक रूप से अलाभकर स्थिति वाले और चिरकालिक खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान की है। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पहचाने गए ब्लाकों में, जहां उल्लेखनीय अनुपात में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या रहती है, केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करती है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50/- रु० प्रति क्विंटल कम होते हैं। केन्द्रीय सरकार गेहूं और चावल के वितरण पर सीधी बजटीय राजसहायता का वहन करती है। समय-समय पर सरकार लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेल के वितरण पर राजसहायता वहन करती है। सुपीरियर मिट्टी के तेल और सॉफ्ट कोक के वितरण पर होने वाली राजसहायता व्यय एक अलग फार्मूले से वहन किया जाता है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे अपनी ओर से स्थानीय उपभोक्ताओं की पसन्द तथा आवश्यकताओं के अनुसार इसमें आम खपत की अन्य अतिरिक्त मदों को शामिल करें।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कार्यान्वयन का तरीका भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग है। सामान्यतः प्रत्येक गांव किसी उचित दर दुकान से जुड़ा होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन लगभग 400 से 500 परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे सभी परिवारों के राशन कार्ड जारी करें। वस्तुओं के वितरण का निरीक्षण करने हेतु उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें और सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर दुकानों के दरवाजे पर सुपुर्दगी करने हेतु प्रबंध करें।

Allocation of Kerosnene to States

5800. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the quota of kerosene oil allotted to various States during the last two years;

(b) what is the criteria for determining this quota;

(c) whether the Madhya Pradesh Government has requested for allotment of additional quota of kerosene for its villages and industrial purposes; and

(d) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) The allocation and offtake of Superior Kerosene Oil (SKO)